

क्रम संख्या

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

93/11/17 पत्रावली पत्रे हुई। पत्रिका  
 साक्षात् उक्त आदेश पत्रे को  
 रजिस्टर्ड नल्की अध्यापिका  
 दिनांक 02-2-18 को पत्रे  
 दोष एक पूर्व आदेश  
 पुनर्वाही रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी  
 विराटनगर (जयपुर)

02-2-18 पत्रावली पत्रे हुई। पत्रिका  
 साक्षात् उक्त अध्यापिका  
 की नल्की उक्त रजिस्टर्ड  
 हुई दिनांक 14-2-18 को  
 पत्रे दोष एक पूर्व आदेश  
 पुनर्वाही रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी  
 विराटनगर (जयपुर)

दि. 2/2/18  
 40.41  
 12-2-18

07-5-18 पत्रावली पत्रे हुई। पत्रिका  
 साक्षात् उक्त अध्यापिका की  
 नल्की रजिस्टर्ड भेजित बिजे हुए।  
 दिनांक 12-2-18 से एक आदेश  
 अधिका का लक्ष्य है युक्त  
 अध्यापिका सं. 1.2 को अज्ञात  
 ए आग से वा-वा अवल  
 (समाप्ति गयी तथा पत्रावली)





अज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

मैं  
घने  
रिगत  
पके  
य  
जयपुर  
पौक  
परीगण  
ओपट  
8 को  
आडके  
अधिकारी  
नगर (जयपुर)  
द्वीका  
गण की  
के डुरा  
क माहसे  
के चुकाए  
को गजमा  
आवाज  
फावली

राजस्व लोक अदालत आप  
आपके ड्रा-कैम्प केरली के  
गजमा ए ड्रा के अपार्पिंग  
को बा-बा आवाज लावापी  
गपी अपार्पिंग की रजिस्ट्र  
नारील की अपवाण की जाती है  
कि अपार्पिंग की रजिस्ट्र रकी  
को छेपित किये हुए एक माहसे  
अधिक का समय हो चुका है  
तो पर्याप्त व समय शानी जाके  
तथा उनके विरुद्ध एक फकीर कपवादी  
डमाल के लक्षी जाके

67/2018



हमने गजमा ए काम में प्रकल,  
फावली का अवलोकन किया तथा  
विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों पर  
भ्रमन किया गया। अतः न्यायवित में  
प्रकरण का फैसला गूल वाद चाप  
177 R-7-147 1955 के निस्तारण  
तक स्थायी (confirml) किया जा रहा है  
तथा इस न्यायालय ड्रा जारी पूर्व  
अन्तर्गत अस्थापी निषेधाज्ञा आदेश दिनांक  
10-7-17 अडालत अपार्पिंग का ला  
फैसला गूल वाद पाब-ड किया जाता है  
किये शर्तें रकम 1307, 4000 रकमा  
25,100 है, 1318 रकमा 0.75 है, 1319/1  
रकमा 0.51 है, 1319/2 रकमा 0.50 है वक  
गुण वजोगुण तहसील विमान की कौका  
व राजस्व निकाई की यथास्थिति बनाये रहे  
फावली फैसल शुभ होकर एक किता  
गूल वाद रहे। निर्णय सुनाया गया।

29/7-518

पीठासीन अधिकारी  
राजस्व लोक अदालत  
न्याय आपके द्वार-2018  
उपखण्ड- विराटनगर (जयपुर)